न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 37 / 2022

01. विक्रम चौहान पुत्र सुखदेवराज चौहान।
02. करन चौहान पुत्र बलदेवराज चौहान जातियान खत्री पंजाबी निवासीयान कस्बा कामाँ तहसील कामाँ जिला भरतपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय कामाँ जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट
सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :– श्री त्रिलोक चन्द सैनी, अमित कुमार शर्मा वकील प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 27 / 12 / 2024

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 6644 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा वर्तमान नये हाल खसरा नम्बरान 2994 / 0.38, 2995 / 0.49 किता– 2 रकबा 0.87 हैक्टर बांके कस्बा कामां नं0 3 में स्थित है। उक्त आराजी पूर्व मे लीलावती बेबा दामोदरदास जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा कामाँ जिला भरतपुर प्रान्त राजस्थान की कब्जे काश्त की आराजी थी तथा लीलावती रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थी। उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15 / 12 / 1983 से लीलावती द्वारा क्रेता श्री मूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमलकुण्ड कामां अहतमाम श्रीमति सार्दा रानी धर्मपत्नी बल्देवराज चौहान व श्रीमति सुदेश रानी धर्मपत्नी सुखदेवराज चौहान निवासी कस्बा कामां तहसील कामां जिला भरतपुर राजस्थान को विक्रय कर दी गयी उक्त बयनामा जिल्द नम्बर 34 की क्रम संख्या 1163 व पेज नम्बर 225 पर पंजीबद्ध किया गया है। उक्त बयनामा के आधार पर सम्वत 2038 से 2041 जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 238 से लीलावती के स्थान पर क्रेता श्री मूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमल कुण्ड कामां अहतमाम श्रीमती सार्दा रानी धर्मपत्नी बल्देवराज चौहान व श्रीमती सुदेश रानी धर्मपत्नी सुखदेवराज चौहान निवासी कस्बा कामां तहसील कामां जिला भरतपुर राजस्थान को खातेदार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। श्रीमान एडीएम साहब भरतपुर के आदेश क्रमांक अ. शा0 पत्रांक / राजस्व / 12 / 1246 / 91 / 1217 दिनांक 29 / 02 / 1994 व तहसीलदार क्रमांक भू. अ. / 94 / 737–740 दिनांक 31 / 03 / 1994 की पालना में " अहतमाम" कलमजन किया गया एवं जमाबन्दी सम्वत 2055–58 के खाता संख्या 482 के कॉलम संख्या 4 में उक्त आराजी का इन्द्राज मन्दिर श्री मूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमलकुण्ड कामां खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया गया। इसी प्रकार रोटेशन आगामी जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में खाता संख्या 509 पर इन्द्राज बदस्तूर रखा गया। उक्त इन्द्राज के विरूद्ध राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अहतमाम खातेदारान एवं वारिसो द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, कामां के न्यायालय में अहतमाम शब्द जोडे जाने हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट में पेश किया। न्यायालय श्रीमान उपजिला कलक्टर महोदय, कामां के निर्णय दिनांक 17 / 01 / 2012 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 6644 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

कस्बा कामां नम्बर 3 के आगे मन्दिर मूर्ति श्री वैष्णोदेवी विराजमान विमलकुण्ड कस्बा कामां खातेदार के आगे अहतमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखदेवराज चौहान व करन चौहान पुत्र श्री बलदेवराज चौहान पंजाबी निवासी कस्बा कामां दर्ज किया जावे के आदेश प्रदान किये गये। न्यायालय श्रीमान उपजिला कलक्टर महोदय, कामां के निर्णय दिनांक 17/01/2012 के विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार साहब कामां द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, भरतपुर कैम्प कोर्ट डीग में अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0 एक्ट में अपील पेश की गई जिसके तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, भरतपुर कैम्प कोर्ट डीग के निर्णय दिनांक 24/04/2013 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17/01/2012 को यथावत रखा गया। न्यायालय श्रीमान उपजिला कलक्टर महोदय, कामां के दिनांक 17/01/2012 एवं न्यायालय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, भरतपुर कैम्प डीग के निर्णय दिनांक 24/04/2013 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 61 (किस्म न्याया आदेश) दिनांक 12/10/2021 दर्ज कर स्वीकार कर लिया गया। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 बांके कस्बा कामां नम्बर 3 के खाता संख्या 550 पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 30/07/2021 बेचान एवं स्वीकृत शुद्धि पत्र संख्या 24 दिनांक 16/11/2021 शुद्धि पत्र का अंकित नोट गलत अंकित हो गया। उक्त दोनो नोटो का कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान करें। सम्पूर्ण राजस्व अभिलेखो एवं माननीय न्यायालयो के निर्णयो का अवलोकन करने के बाद हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 550 पर इन्द्राज "पूर्ण संस्था" शब्द लिपीकीय सहवन भूल के कारण गलत दर्ज हो रहा है। जिसे प्रार्थीगण संशोधित कराकर उक्त शब्द "पूर्ण संस्था" के स्थान पर "खातेदार" शब्द दर्ज करा पाने के अधिकारी है क्योकि उक्त आराजी प्रार्थीगण द्वारा स्वयं अर्जित की गयी सम्पत्ति है एवं मुताबिक दाखिल खारिज संख्या 238 दिनांक 13/08/1984 के अनुसार जमाबन्दी में शुद्ध इन्द्राज श्री मूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमलकुण्ड कामां एहतमाम श्रीमति सार्दा रानी धर्मपत्नि बल्देवराज चौहान व श्रीमति सुदेश रानी धर्मपत्नि सुखदेवराज चौहान निवासी कस्बा कामां तहसील कामां जिला भरतपुर राजस्थान खातेदार दर्ज होना चाहिए था एवं इसी प्रकार इसी कम में हाल जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 550 पर नामान्तरकरण संख्या 24 बेचान दिनांक 30.07.2021 एवं शुद्विपत्र संख्या 24 दिनांक 16.11.2021 लगे हुए अंकित नोटो (टिप्पणियों) को भी प्रार्थीगण हटवा पाने के अधिकारी हैं। श्रीमान उपजिला कलक्टर महोदय, कामां के निर्णय दिनांक 17/01/2012 में "मूर्ति " शब्द के आगे सहवन भूल से "मन्दिर" शब्द अंकित कर दिया गया इसी प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, भरतपुर कैम्प डीग के निर्णय दिनांक 17/04/2013 में भी "मूर्ति" शब्द के आगे "मन्दिर" शब्द अंकित कर दिया गया जबकि मूल बयनामा एवं नामान्तकरण संख्या 238 में "मन्दिर" शब्द का कही भी अंकन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण "मूर्ति" शब्द के आगे से "मन्दिर" शब्द को कलमजन कराकर संशोधित करा पाने के अधिकारी है। मुताबिक राजस्व रिकॅार्ड बयनामा नामान्तकरण संख्या 238 एवं न्यायालय आदेशों के अनुसार खाता संख्या 550 जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 पर शुद्ध इन्द्राज श्रीमूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमलकुण्ड कामां एहतमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखदेव चौहान, करन चौहान पुत्र बलदेवराज चौहान जाति चौहान पंजाबी साकिन कामां खातेदार दर्ज होना न्यायहित में आवश्यक है एवं नामान्तकरण संख्या 24 किस्म बेचान दिनांक 30/07/2021 व शुद्धि पत्र संख्या 24 दिनांक 16/11/2021 में अंकित नोटों (टिप्पणीयों) को कलमजन किया जाना भी न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट0 सहपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, बयनामा नामान्तकरण संख्या 238 एवं न्यायालय आदेशों के अनुसार खाता संख्या 550 जमाबन्दी सम्वत 2074 लगायत 2077 पर शुद्ध इन्द्राज श्रीमूर्ति वैष्णोदेवी

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

विराजमान विमलकुण्ड कामां एह तमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखदेवराज चौहान, करन चौहान पुत्र बलदेवराज चौहान जाति चौहान पंजाबी साकिन कामां खातेदार दर्ज करने के आदेश किये जावे एवं नामान्तकरण संख्या 24 किस्म बेचान दिनांक 30/07/2021 व शुद्धि पत्र संख्या 24 दिनांक 16/11/2021 में अंकित नोटो (टिप्पणीयो) को कलमजन किये जाने के आदेश किये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार कामां को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी तहसीलदार कामां द्वारा अपने पत्र कमांक/एलआर/2023/193 दिनांक 06.02.2023 से अपनी मौका रिपोर्ट पेश की है कि कस्बा कामां नं0 3 की आराजी खसरा नम्बर साविक 6644 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा (हाल नं0 2694/0.38 व 2695/0.49) में मन्दिर व संस्था शब्द की शुद्धि चाही है। जिसमे बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है कि बांके कस्बा कामां नं0 3 के आराजी खसरा नम्बर साविक 6644 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2038–41 के अनुसार लीलावती बेबा दामोदर दास जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड था। जिसका बेचान विक्रेता लीलावती बेबा दामोदरदास द्वारा क्रेता श्री मूर्तिवैष्णों देवी विराजमान विमल कुण्ड कामां अहतमाम श्रीमती शार्दा रानी धर्मपत्नी बल्देवराज व श्रीमती सुदेशरानी धर्मपत्नी सुखदेवराज जाति चौहान सा0देह खातेदार को वय किया गया। उक्त वयनामा जिल्द संख्या 34 की क्रम सं0 1163 व पेज न0 225 व अतिरिक्त क्र0सं0 1 जिल्द संख्या 2 की क्रम संख्या 113 पर श्रीमान उपपंजीयक कामां द्वारा दिनांक 15/12/1983 को पंजीबद्ध किया गया। उपर्युक्त बयनामा के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा दाखिल खारिज नं0 238 दिनांक 13/08/1984 से आराजी खसरा नम्बर साविक 6644 (हाल नं0 2694/0.38 व 2695/0.49) को क्रेता श्रीमूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमल कुंड कामां अहतमाम श्रीमती शार्दारानी धर्मपत्नी बल्देवराज चौहान व श्रीमती सुदेशरानी धर्मपत्नी सुखदेवराज जाति चौहान सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज कर स्वीकृत किया गया। दाखिल खारिज नं0 238 दिनांक 13/08/1984 के आधार पर जमाबंदी संवत 2038–2041 के खाता संख्या 478 पर लाल स्याही से नोट अंकित किया गया। श्रीमान अति0 जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर के आदेश क्र0अ.शा. पत्रांक/राजस्व/12/1246/91/1217 दिनांक 29/02/1994 की पालना में अहतमाम श्रीमती शार्दारानी धर्मपत्नी बल्देवराज चौहान व श्रीमती सुदेशरानी धर्मपत्नी सुखदेवराज चौहान को कलमजन किया गया। जमाबंदी संवत 2055–58 कस्बा कामां 3 के खाता संख्या 482 को कॉलम संख्या 4 में उक्त आराजी पर इन्द्राज मन्दिर श्री मूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमल कुण्ड कामां खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया गया। जमाबंदी रोटेशन से आगामी जमाबंदी चौसाला संवत 2059–2062 के खाता संख्या 509 पर इन्द्राज बदस्तूर रखा गया। उक्त इन्द्राज के विरूद्ध पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अहतमाम खातेदारान के वारिसान जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074–77 कामां नं0 3 में अहतमाम दर्ज है के द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, कामां के न्यायालय में अहतमाम जोडे जाने हेतु वाद धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट में पेश किया गया। न्यायालय श्रीमान उपजिला कलक्टर महोदय, कामां के निर्णय दिनांक 17/01/2012 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में आराजी खसरा नम्बर साविक 6644 (हाल नं0 2694/0.38 2695/0.49) बांके ग्राम कस्बा कामां नं0 3 के आगे मन्दिर मूर्ति श्रीवैष्णोदेवी विराजमान विमल कुण्ड कस्बा कामां अहतमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखदेवराज चौहान व करन चौहान पुत्र श्री बलदेवराज चौहान जाति चौहान (पंजाबी) निवासी कस्बा कामां जोडे जाने के आदेश प्रदान किये गए। उक्त निर्णय दिनांक 17/01/2012 के विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार साहब कामां द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प कोर्ट डीग में अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट के तहत अपील की गई। न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

24/04/2013 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17/01/2012 को यथावत रखा। उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 12/10/2021 दर्ज कर पूर्ण किया गया। नामान्तकरण संख्या 61 दर्ज करते समय मन्दिर श्री मूर्तिवैष्णोदेवी विराजमान विमल कुण्ड करबा कामां अहतमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखेदेवराम चौहान, करन चौहान पुत्र बल्देवराम चौहान जाति चौहान (पंजाबी) सा0 कामां दर्ज हो गया। जबकि सुखदेवराज चौहान व बलदेवराज चौहान के स्थान पर सहवन से सुखदेवराम चौहान व बल्देवराम चौहान दर्ज हो गया। शुद्धि पत्र संख्या 24 दिनांक 16/11/2021 से मन्दिर श्री मूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमल कुण्ड करबा कामां अहतमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखेदवराम चौहान, करन चौहान पुत्र बल्देवराम चौहान जाति चौहान (पंजाबी) सा0 कामां के स्थान पर मन्दिर श्रीमूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमल कुण्ड करबा कामाँ अहतमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखदेवराज चौहान, करन चौहान पुत्र बल्देवराज चौहान जाति चौहान (पंजाबी) सा0कामां की शुद्धि की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, बयनामा नामान्तकरण संख्या 238 एवं न्यायालय आदेशों के अनुसार खाता संख्या 550 जमाबन्दी सम्वत 2074 लगायत 2077 पर शुद्ध इन्द्राज श्रीमूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमलकुण्ड कामां एह तमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखदेवराज चौहान, करन चौहान पुत्र बलदेवराज चौहान जाति चौहान पंजाबी साकिन कामां खातेदार दर्ज करने के आदेश किये जावे एवं नामान्तकरण संख्या 24 किस्म बेचान दिनांक 30/07/2021 व शुद्धि पत्र संख्या 24 दिनांक 16/11/2021 में अंकित नोटो (टिप्पणीयो) को कलमजन किये जाने के आदेश किये जावे तथा तहसीलदार कामां से प्राप्त रिपोर्ट शुद्धि से मन्दिर श्री मूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमल कुण्ड कस्बा कामां अहतमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखेदवराम चौहान, करन चौहान पुत्र बल्देवराम चौहान जाति चौहान (पंजाबी) सा0 कामां के स्थान पर श्रीमूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमल कुण्ड कस्बा कामाँ अहतमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखदेवराज चौहान, करन चौहान पुत्र बल्देवराज चौहान जाति चौहान (पंजाबी) सा0कामां की शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट सपठित धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, बयनामा नामान्तकरण संख्या 238 एवं न्यायालय आदेशों के अनुसार खाता संख्या 550 जमाबन्दी सम्वत 2074 लगायत 2077 पर शुद्ध इन्द्राज श्रीमूर्ति वैष्णोदेवी विराजमान विमलकुण्ड कामां एह तमाम विक्रम चौहान पुत्र सुखदेवराज चौहान, करन चौहान पुत्र बलदेवराज चौहान जाति चौहान पंजाबी साकिन कामां खातेदार दर्ज करने एवं नामान्तकरण संख्या 24 किस्म बेचान दिनांक 30/07/2021 व शुद्धि पत्र में अंकित नोटो (टिप्पणीयो) को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावें। निर्णय प्रति तहसीलदार कामाँ को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग)